कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 – 04 / 2022

उनवान : –

1. जयसिंह पुत्र धनसुखराम जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा। – प्रार्थी

बनाम्

1. जयपाल पुत्र धनसुखराम जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. शमशेरसिंह पुत्र अर्जन जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. सरबती पत्नी बनवारी जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
4. मैना पुत्री रूपसिंह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
5. स्वराज पुत्र रूपसिंह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
6. मेरा पत्नी रूपसिह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
7. यशवन्तसिंह पुत्र खुमानसिंह जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
8. एसबीआई डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. एसबीआई भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक।
10. आईसीआईसीआई शेरड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भिरानी।
11. राजस्थान सरकार जरिये त0 भादरा। – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए

उपस्थिति :–श्री सुनिल बैनीवाल **प्रार्थी**
श्री विजेन्द्र बैनीवाल अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 15.6.23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 140 / 122 की कुल 7.742है0 कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए रोही मौजा भिरानी की अराजीराज भूमि मु0न0 183 के किला 23 ता 25 प्रत्येक किला में एक–एक गटठा पत्थर लाईन के दक्षिणी तरफ, मु0न0 183 के किला न0 21–22 में पत्थर लाईन के दक्षिणी तरफ, मु0न0 184 के किला न0 16 / 2, 25 मे पूर्वी तरफ पत्थर लाईन से, मु0न0 184 के किला न0 16 / 1 के पूर्वी तरफ व मु0न0 184 के किला न0 15 दक्षिणी तथा पश्चिमी तरफ मु0न0 184 के किला न0 13, 14 / 2 के उतरी तरफ तथा किला 13 / 1 के उतरी तरफ एक–एक गटठा चोडाई में रास्ता का उपयोग सदामत से करता आ रहा है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ता 7 ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए रोही मौजा भिरानी की अराजीराज भूमि मु0न0 183 के किला 23 ता 25 प्रत्येक किला में एक–एक गटठा पत्थर लाईन के दक्षिणी तरफ, मु0न0 183 के किला न0 21–22 में पत्थर लाईन के दक्षिणी तरफ, मु0न0 184 के किला न0 16/2, 25 मे पूर्वी तरफ पत्थर लाईन से, मु0न0 184 के किला न0 16/1 के पूर्वी तरफ व मु0न0 184 के किला न0 15 दक्षिणी तथा पश्चिमी तरफ मु0न0 184 के किला न0 13, 14/2 के उतरी तरफ तथा किला 13/1 के उतरी तरफ एक–एक गटठा चोडाई में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अतः उक्त रास्ता को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा तहसीलदार भादरा रिपॉर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए रोही मौजा भिरानी की अराजीराज भूमि मु0न0 183 के किला 23 ता 25 प्रत्येक किला में एक–एक गटठा पत्थर लाईन के दक्षिणी तरफ, मु0न0 183 के किला न0 21–22 में पत्थर लाईन के दक्षिणी तरफ, मु0न0 184 के किला न0 16/2, 25 मे पूर्वी तरफ पत्थर लाईन से, मु0न0 184 के किला न0 16/1 के पूर्वी तरफ व मु0न0 184 के किला न0 15 दक्षिणी तथा पश्चिमी तरफ मु0न0 184 के किला न0 13, 14/2 के उतरी तरफ तथा किला 13/1 के उतरी तरफ एक–एक गटठा चोडाई में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसके प्रतिफल में अप्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार का लेन–देन नहीं करने को स्वीकार किया है। लेकिन मु0न0 183 के किला न0 23 ता 25 आराजीराज भूमि है इसलिए निर्धारित दर से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा भिरानी की अराजीराज भूमि मु0न0 183 के किला 23 ता 25 प्रत्येक किला में एक–एक गटठा दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन से, मु0न0 183 के किला न0 21–22 में पत्थर लाईन के दक्षिणी तरफ, मु0न0 184 के किला न0 16/2, 25 मे पूर्वी तरफ पत्थर लाईन से, मु0न0 184 के किला न0 16/1 के पूर्वी तरफ व मु0न0 184 के किला न0 15 दक्षिणी तथा पश्चिमी तरफ मु0न0 184 के किला न0 13/2, 14 के उतरी तरफ तथा किला 13/1 के उतरी तरफ एक–एक गटठा चोडाई में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करें। **चूंकि मु0न0 183 के किला न0 23 ता 25 राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है इसलिए उक्त**

उपखण्डाधिकारी (राज.)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कलाजात से स्वीकृत रास्ता के प्रतिफल में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समीति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर का दुगना प्रतिकर राजस्व कोष में जमा करवाया जाकर ही उक्त रास्ता का अंकन मु0न0 183 के किला न0 23 ता 25 में किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.6.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ